

प्ररूप सं. 15घ

[नियम 29ख देखिए]

कर की कटौती के बिना ब्याज और लाभांशों से भिन्न राशियों की प्राप्ति के लिए  
आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 195(3) के अधीन प्रमाणपत्र के लिए  
किसी बैंककारी कंपनी से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा आवेदन

सेवा में,

[निर्धारण अधिकारी]

.....

श्रीमान्,

मैं, ....., जो ..... का प्रधान अधिकारी हूँ, हम

.....

[ब्याज और लाभांशों से भिन्न राशियाँ प्राप्त करने के लिए हकदार व्यक्ति, फर्म या कंपनी का नाम]

यह घोषणा करते हैं कि :

(क) मैं/ ..... एक ऐसा अनिवासी निधारिती (जो बैंककारी कंपनी नहीं है)

[फर्म, कंपनी आदि का नाम]

हूँ/है, जो ..... नाम (नामों) वाली शाखा (शाखाओं) के, जिसका (जिनके) कार्यालय ..... में स्थित है (है), माध्यम से  
भारत में कारबार/वृत्ति कर रहा हूँ/रही है;

(ख) मेरा प्रधान कार्यालय/..... का प्रधान कार्यालय

[फर्म, कंपनी आदि का नाम]

..... में स्थित है;

[स्थान और देश का नाम]

(ग) मैं/ ..... वित्तीय वर्ष .....

[फर्म, कंपनी आदि का नाम]

के दौरान आय-कर अधिनियम, 1961 के उपबंधों के अधीन प्रभाय आय (लाभांशों और ब्याज से भिन्न) प्राप्त करने के लिए हकदार हूँ/है;

(घ) मैं/ ..... आय-कर नियम, 1962

[फर्म, कंपनी आदि का नाम]

के नियम 29ख में अधिकथित सभी शर्तों को पूरा करता हूँ/करता है।

अतः, मैं यह अनुरोध करता हूँ कि मुझे/..... को

[फर्म, कंपनी आदि का नाम]

वित्तीय वर्ष ..... के दौरान आय-कर अधिनियम, 1961, की धारा 195 की उपधारा (1) के अधीन कर की कटौती के बिना ब्याज या  
लाभांशों से भिन्न आय प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत करते हुए एक प्रमाणपत्र जारी किया जाए।

मैं यह घोषणा करता हूँ कि इस आवेदन में जो कुछ कहा गया है वह ठीक है।

तारीख .....

.....

हस्ताक्षर

.....

पता